रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222076 CG-DL-E-28092020-222076

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] No. 480] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/आश्विन 6, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 589(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2020 हैं।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 के, उप-नियम (1) के, खंड (क) में, "दस माह" शब्दों के स्थान पर "तेरह माह" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 8/4/2018-सीएल-I, पार्ट-1] के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

4569 GI/2020 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 396(अ) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

- **G.S.R.** 589(E).—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fourth Amendment Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "ten months" the words "thirteen months" shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 396 (E), dated the 23<sup>rd</sup> June, 2020.